

(11) Statement No. XIV Hundred and Seventy Second Session, 1994.

(Placed in Library. *See* No. LT-2263/ 97]

(12) Statement No. XIII Hundred and Seventy Third Session, 1995.

[Placed in Library. *See* No. LT-2264/ 97]

(13) Statement No. IX Hundred and Seventy Fourth Session, 1995.

[Placed in Library. *See* No. LT-2265/ 97]

(14) Statement No. VII Hundred and Seventy Fifth Session, 1995.

(Placed in Library. *See* No. LT-2266/ 97]

(15) Statement No. VI Hundred and Seventy Sixth Session, 1996.

[Placed in Library. *See* No. LT-2267/ 97]

(16) Statement No. V Hundred and Seventy Eighth Session, 1996.

[Placed in Library. *See* No. LT-2268/ 97]

(17) Statement No. III Hundred and Seventy Ninth Session, 1996.

[Placed in Library. *See* No. LT-2269/ 97]

(18) Statement No. II Hundred and Eightieth Session, 1997.

[Placed in Library. *See* No. LT-2270/ 97]

**REPORTS AND MINUTES OF
THE COMMITTEE ON
THE WELFARE OF
SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES**

SHRI RADHAKISHAN MALAVIYA (Madhya Pradesh): Madam, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports and Minutes of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

- (i) Ninth Report on Ministry of Petroleum and Natural Gas

'Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Engineers India Limited.'

- (ii) Tenth Report on Ministry of Petroleum and Natural Gas 'Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in allotment of Gas and Petrol Agencies.'

**SHORT DURATION DISCUSSION
ON THE PREVAILING SITUATION
IN BIHAR**

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Madam..... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have got Short Duration Discussion on Bihar. ... (*Interruptions*)...

SHRI -VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, today leaders of political parties... (*Interruptions*)...

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra): Madam, we are facing a very big problem as break-journey is not being allowed on season tickets in Mumbai. ... (*Interruptions*)...

उपसभापति : अभी हमारे सामने बिहार का डिस्कशन है। कल आप सब लोगों ने इतना बोला। आज स्पेशल मैशन हम नहीं ले रहे हैं।

श्री सतीश प्रधान : महोदया, मुंबई में अभी जो रेलवे का नया टाईम-टेबल शुरू किया गया है, इसके पेज नंबर 124 पर एक नया नियम दिया हुआ है जो आज तक कभी नहीं था। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक नया नियम बनाया गया है, सबको बताया गया है कि जिसके पास सीजन टिकट है, वे सीजन टिकट होल्डर्स रेल यात्रा करते समय बीच में ब्रेक जानी नहीं कर सकते। उसके लिए आपत्ति की गई है और ब्रेक जर्नी बंद कर दी गई है (**व्यवधान**)

प्रो. राम कापसे : रेलवे में यह रूल नहीं है (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will ask the Railway Minister to look into it and go to Mumbai. All right!

श्री सतीश प्रधान : महोदया, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यहां है। ये सदन की भावना को रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचा देंगे(व्यवधान)

प्रो. राम कापसे : सेंट्रल रेलवे के इलाके में अलग नियम, वैस्टर्न रेलवे के इलाके में अलग नियम, ऐसा कैसे हो सकता है(व्यवधान)

उपसभापति: अभी हमने आपकी बात सुन ली, अब यहां हाऊस में तो रेल को रोकने मत दीजिए, बैठिए ना(व्यवधान)

श्री सतीश प्रधान : महोदया, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यहां है, He should react to it.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): Madam, as per your direction, I will convey this problem to the Railway Minister. ... (Interruptions)...

उपसभापति : आप बैठेंगे तो पहुंचाएंगे। आप बैठिए ना(व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: I said that I will convey this problem to the Railway Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please ask him to go there are making an on-the-spot inspection because he knows that there are a lot of problems in Mumbai. ... (Interruptions)...

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, today senior leaders from Kerala are demonstrating against the decision on the creamy layer. Madam, Kerala was enjoying reservation benefits for more than 70 years. Now, after the Supreme Court judgment in the Mandal case, we are the biggest casualty. The creamy layer concept was introduced in the first phase by taking away reservation benefits from backward classes, minorities, Muslims and others. That is why. Madam, all the communities have joined these leaders and have come here to make a demonstration in front of the Parliament House. They have come here for holding a meeting. Madam, the creamy layer is a new device created by the highest court to take away the right of reservation of the backward classes

and the minorities especially after the Mandal Commission Report. When the V.P. Singh Government decided to implement the Mandal Commission Report, it was the backward classes and the minorities of Kerala who were the biggest casualty. Whatever existed in this regard in Kerala, it was even enjoyed by the Maharaja of Travancore. Now the backward classes of Kerala have been deprived of this right of reservation. How can a democratic Government take away this right on the basis of creamy layer which goes against the interests of the backward classes? The senior leaders who were demonstrating here have been detained. They have not been allowed to come to the Parliament House. ... (Interruptions)... Madam, this is what I wanted to bring to the notice of this House.

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): What is he talking about. Madam?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is talking about the Maharaja of Travancore. ... (Interruptions)... Now we have a discussion on Bihar. ... (Interruptions)...

श्री सतीश प्रधान : मैडम, दो दिन पहले इस मदन में आपने बताया था कि यह जो कैमरे बिठाए गए हैं जाली वगैरह तोड़कर सब खराब कर दिया है, इस विषय में जानकारी लेकर सदन में बताया जाएगा कि क्या हुआ। अतः उस विषय पर आप सदन को जानकारी दे दें तो हम आभारी होंगे कि इसमें क्या जानकारी हुई और इक्वायरी में क्या बात निकली?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will find out from the Minister and let you know. ... (Interruptions)...

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र) : मैडम, इस मामले को चार दिन से ज्यादा हो गए हैं।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : मैडम, आज पांच दिन हो गए सीरियस मैटर है। सदन की खूबसूरती खत्म कर दी, सदन की गरिमा भी रखी नहीं गई। किसी को जानकारी नहीं है, सैक्रेटरी जनरल साहब को इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है।

उपसभापति : ठीक है, आपको जानकारी देंगे। आप बैठिए तो।

श्री सतीश प्रधान : पार्लियामेंट्री एफ्फेयर्स मिनिस्टर साहब को भी जानकारी नहीं है। तो यह किस को मालूम है, किसने किया है, क्या किया है, यह तो सब मालूम होना चाहिए या प्रिविलेज लाने की आवश्यकता है उसके लिए।(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we have a discussion on Bihar. ... (Interruptions)...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश) : मैडम, यह पे-कमीशन का मामला यहां पर बहुत दफे उठाया गया और यह कहा गया कि जल्दी ही उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब हम नहीं समझते हैं किस तरह की अनिश्चित, किस तरह की अस्थिर सरकार है। यह कुछ कहती है, कुछ करती है और बाहर कहती है। अगर उनको कोई महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have a discussion listed before me for Short Duration. ... (Interruptions)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, we take serious exception to the decision of the Government announced outside the Parliament. Madam, when the Parliament is in session. ... (Interruptions)... Madam, I am only seeking your protection.

Madam, it is a long-standing parliamentary practice that whenever such an important decision is taken by the Government, generally it is announced in the House. ... (Interruptions). ..One minute, please, ... (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have a discussion on the Bihar situation. ... (Interruptions)...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो हमको यहां पर बतलाते(व्यवधान) मैडम, मैं बोल रहा था।(व्यवधान)

उपसभापति : गुरुदास जी वह बोल रहे हैं(व्यवधान)

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : मैडम, मेरा केवल यही निवेदन था कि ऐसा महत्वपूर्ण सवाल जो पोलिसी का सवाल है और जिससे कि करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं और जिसके बारे में सदन इतना हमेशा चिंतित रहा है

उसके बारे में एक सीधा स्टेटमेंट बाहर दे दिया गया जबकि ऐसी महत्वपूर्ण बातें सदन में हमें बतानी चाहिए थी कि सरकार ने क्या निश्चय किया है। जो भी मैंने चार या पांच अखबारों में देखा है उससे कम से कम मैं नतीजे पर नहीं आ पाया हूं कि उन्होंने क्या फैसला किया है और वह क्या बतलाना चाहते हैं। उसमें कोई धमकी है या उन्होंने कोई नीति निर्धारित की है। क्या है या कोई डराने के लिए या बच्चों को एक खिलौना देने के लिए है कि अगर तू रोए तो यह सब खिलौने वापिस ले लेंगे। आखिर क्या निर्णय सरकार का है और वह निर्णय एक अधिकारी का है और जी हमको नहीं बतलाते हैं। यह एक अजीब स्थिति है। जयपाल रेड्डी जी, जब इधर बैठते थे तो हमेशा यही कहा करते थे कि नीति संबंधी और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनके संबंध में यहीं पर जानकारी देनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : जो फैसला लिया गया था, यह बरसों के बाद लिया गया था।(व्यवधान).... सारे फैसले को मैरिट्स के आधार पर लिया गया था और अब कहते हैं कि हम कोई मैरिट्स पर नहीं जाएंगे।(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we have to discuss Bihar.

ऐऐऐऐ (व्यवधान) : अब आपकी क्या समस्या हैं?(व्यवधान)...

We have the discussion ... (Interruptions)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Madam, you are the only last hope ... (Interruptions)... Yes. I am saying this particularly, because you are the only last hope to this House.

उपसभापति : अभी बैठिए आप लोग।(व्यवधान)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: The Government has announced such an important decision outside the Parliament when the Session is in progress ... (Interruptions)... It is a shameful act.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down ... (Interruptions)... I have before me the listed business ... (Interruptions) A A. The Home Minister is here ... (Interruptions)... Now, we have to take up Short Duration discussion ... (Interruptions)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
Madam, you have said repeatedly that such important decisions the Government should not announce outside, particularly, when the Parliament Session is going on ...*(Interruptions)*..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record ...*(Interruptions)*...

I do not know ...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*... I said, please sit down ...*(Interruptions)*... I think, you are not interested in Bihar ... *(Interruptions)*...

I think, nobody is interested in Bihar...*(Interruptions)*... Then, they will say that Bihar was not discussed. We intended to discuss but the Minister was not there. Now, the Minister is here. So, you start the discussion on Bihar, if you have any other grievance, you can take it up some other time. I have a listed business here. I will go ahead with it. If you want to raise any other issue, raise it in another form, but not now. This is my last word 'Bihar.'

... *(Interruptions)*...

If this is the respect to the House, ...*(Interruptions)*... Go ahead. "iR-iy.

... *(Interruptions)*...

I am not in a haste, how can I pull him up? ...*(Interruptions)*...

विपक्ष ने नेता (श्री सिकंदर बख्त) : सदर साहिबा, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि गवर्नमेंट के फंक्शन करने का तरीका निहायत ही गलत है। यहां डिस्कस करने या करने की बात नहीं है, बुनियादी बात यह है कि गवर्नमेंट जब एक चीज लेकर आती है तो वह हाउस की प्रॉपर्टी हो जाती है लेकिन गवर्नमेंट अपने आप ही हम सिलसिले में कोई ऐलान कर देती है बगैर सदन में लाए हुए*(व्यवधान)*... सदर साहिबा, इस सिलसिले में*(व्यवधान)*

†श्री स्कंदर बख्त: सदर صاحبہ میرا صرف
اتنا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے فنکشن

†[I]Transliteration in Arabic Script

کرنے کا طریقہ نہایت ہی غلط ہے۔ یہاں ڈسکشن کرنے یا
نہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ
جب ایک چیز لیکر آئی ہے تو وہ ہاؤس کی پراپرٹی ہو جاتی ہے
لیکن گورنمنٹ اپنے آپ ہی اس سلسلے میں کوئی اعلان کر
دیتی ہے بغیر سدن میں لائے ہوئے "مداخلت" ... صدر
صاحبہ اس سلسلے میں "مداخلت" ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Bihar, Bihar.
... *(Interruptions)*...

My ruling is not there ...*(Interruptions)*...
My ruling is, 'Please sit down.'

... *(Interruptions)*...

You	please	sit	down
... <i>(Interruptions)</i> ...		No,	no

...*(Interruptions)*... Shri Gurudasji
...*(Interruptions)*... No, I will not allow
...*(Interruptions)*... No, I am not giving any
direction ...*(Interruptions)*... You please sit
down ...*(Interruptions)*... My direction is, "You
sit down" ...*(Interruptions)*... Please sit down
...*(Interruptions)*... The Government is here, the
Ministers are here. They all agree
...*(Interruptions)*... ...بٹھایے۔ آپ نے اپنی بات کہ
لی۔ منتری نے سون لی۔ श्री जयपाल रेड्डी जी यहां बैठे हैं,
पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और होम मिनिस्टर
इन सबने सुन ली है, ये सरकार तक आपकी बात
पहुंचा देंगे और जो जवाब होगा वह आपको बोल देंगे।
श्री सतोश अग्रवाल जी। आप उनसे पूछ लीजिए सुनी
है कि नहीं सुनी है।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa):
Madam, has this clarification been clubbed with
Short Duration Discussion?

Discussion on

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no, it is not to be clubbed with because ... (Interruptions)... एक मिनट अग्रवाल जी। because the Members will speak on the subject and then they can seek clarifications, so that the Minister could reply together. There is no point in repeating the same thing. It is quite possible that many points would be raised and those whose names are duplicated they may not again put it up. They can put their queries along with the speeches. अग्रवाल जी, बोलिए।

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि बिहार की वर्तमान स्थिति के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। यह चर्चा गत सप्ताह 29 जुलाई, मंगलवार को होनी थी परन्तु भगवान जो करता है वह अच्छा करता है। उस समय की चर्चा का रूख दूसरा होता। यदि हम पिछले सात दिन के घटनाक्रम का दृष्टिपात करें तो आज चर्चा में कुछ नये तथ्य और नया मोड़ आया है। आज हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। यह वही बिहार है जहां भगवान महावीर पैदा हुए। यह वही बिहार है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए, यह वही बिहार है जहां डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जैसी हस्ती पैदा हुई है जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, कास्टीट्यूट असेम्बली के चेयरमैन बने और जिनको दो बार देश के राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला।

(उपसभाध्यक्ष (श्री जॉ एफ. फर्नांडिस) पीठासीन हुए)

यह वही बिहार है जिसने जय प्रकाश नारायण जी को जन्म दिया और जहां से समग्र क्रांति का नारा गूँजा। यह वही बिहार है जिसने बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्तित्व को उत्पन्न किया और यह वही बिहार है जहां पर चन्द्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहां के जीवन दर्शन का फैलाव देश में ही नहीं किया, वरन् देश के बाहर जाकर विदेशों में जैसे-चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया आदि में इसका विस्तार किया। यह वही बिहार है जहां के तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय दुनिया में विख्यात थे। तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया परन्तु नालन्दा विश्वविद्यालय आज भी वहां पर विख्यात है। विक्रमशिला शिक्षा केन्द्र भी बिहार में है। यह वही बिहार है जिस बिहार में अशोक ने गद्दी को छोड़ दिया,

" oinar

गौतम बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया और जीवन का एक नया दर्शन लेकर दुनिया के सामने आये। उन्होंने इस देश को ही नहीं वरना सारी दुनिया को जीवन का एक नया दर्शन दिया।

श्री गुरु गोविन्द साहब पटना में जन्मे, कितना पवित्र स्थान है। उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल ये बातें, तथ्य सदन के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इस प्रकार की हस्तियां, इस प्रकार के व्यक्ति जिस प्रदेश में पैदा हुए, वह बिहार ही है। वह बिहार तब था और आज जब बिहार के बारे में हम चर्चा करते हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, तो बिहार की आज की स्थिति क्या है? आज हिन्दुस्तान में जो "फोकस ऑन दि पूवर" नामक पुस्तक हमको दी गई। यह वही बिहार है जहां देश के मुकाबले 56 फीसदी गरीब व्यक्ति आज बिहार में रहते हैं। यह वही बिहार है जहां देश की खनिज सम्पदा का 90 फीसदी भाग पब्लिक सैक्टर इन्वेस्टमेंट पब्लिक सैक्टर इन्टरप्राइजेज में सबसे ज्यादा हुआ है। यह वही बिहार है जिस बिहार के अंदर आज हालत क्या है, जिसका बचाव करने के लिए हमको आज विचार करना पड़ रहा है। जाति, धर्म और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर जिस बिहार में उत्पन्न होने वाले भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु गोविन्द और जितने भी राजा-महाराज आये उन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता का संदेश दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाया जिसके कारण आज हिन्दुस्तान के संबंध उनके साथ और भी आत्मीय है। उस बिहार में आज जातीयता का नंगा नाच हो रहा है, हिंसा का तांडव हो रहा है, लूटपाट हो रही है, किडनेपिंग हो रही है, रेप हो रहे हैं, खजाने लूटे जा रहे हैं और जो 6 वर्ष पहले हिन्दुस्तान में बिहार में राजा थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान में यूनाइटेड फ्रन्ट में इतनी अहम भूमिका निभाई थी, आज वही राजा जेल में हैं। खुशी किसी को नहीं होती, क्या हो गया है बिहार को क्या हो गया है? मुझे अखबारों में पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। जब मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा कि उनके ऊपर कोई स्कैम लगा है, कोई मुकदमा बना है, फोडर स्कैम चला, अने स्कैमों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। एनिमल हसबेन्डरी का स्कैम है, मैडिकल स्कैम है, कोल्तार का है, लैण्ड स्कैम है, मैडिकल स्कैम है, कोल्हार का है, लैण्ड स्कैम है, फोरस्ट स्कैम है और कहते हैं कि सारे स्कैमों में, घोटालों में लगभग दस हजार करोड़ रुपये का मामला है। फोडर स्कैम में कहते हैं कि 5 फाइले अभी तक चीफ सैक्रेटरी ने दबाकर रखी हुई हैं। साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये का है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि वह साढ़े बाइस सौ करोड़ रुपये का है। अब तो सैकड़ों में

बात करने की जरूरत नहीं है अब तो स्कैम के बारे में इस देश में दुर्भाग्य है कि हमें हजारों करोड़ों में बात करनी है। क्या यह वही बिहार है उसी बिहार के बारे में आज मुझे अफसोस होता है कि आज बिहार में हालत क्यों हुई। पिछली आठवीं पंचवर्षीय योजना में तेरह हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए तेरह हजार करोड़ रुपये थे, उसमें खर्चा कितना हुआ, केवल साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये। नौवीं योजना अभी तक फाइनल नहीं हुई है। पिछले पन्द्रह वर्षों में बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन नहीं हुआ। बिहार में मास कॉपिंग होता है। बिहार में टीचर्स को तन्खवाहे नहीं मिलती है और बिहार का खजाना खाली हो गया भ्रष्टाचार के कारण, लूट के कारण जिसके संबंध में बिहार की पटना हाइकोर्ट ने जो इस फोर्जर स्कैम का मानिट्रिंग कर रही है उसने एक प्रकार का इस संबंध में एक आब्जर्वेशन दिया है। मैं केवल सदन की जानकारी के लिए उसे पढ़ना चाहूंगा कि किस प्रकार के हालात वहां पर उत्पन्न हो गये हैं।

"During the tenure of Mr. Yadav as the Chief Minister, fraudulent withdrawals from the treasury registered a phenomenal rise. These fraudulent withdrawals from the treasury were carried out in full knowledge of the Executive. If the evidence in this case are to be believed, the poor people have been deprived of their share in the loot. It is a, crime against the nation.

Chief Justice Daliwal, after hearing arguments from both sides, said: 'I feel, if the evidence against the accused are *prima facie* true, the loot of the public money has been going on unabated for years".

क्या इस स्थिति के आगे आज के हमारे राजा-महाराजा, क्या ये लोकतंत्र पर कलंक नहीं है, क्या हमारे लिए शोभा की बात है?(व्यवधान)

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला : ये जो राजा महाराजा कहते हैं कि ये 77 में इनके साथ थे अब इनके साथ थे। 89 में भी इनके साथ थे(व्यवधान)
ये उन राजाओं की बात कहते हैं(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : उपासभाध्यक्ष महोदय, सन् 1977 और 89 में ये हमारे साथ थे या नहीं थे लेकिन इस प्रकार की स्थिति बिहार में उस समय नहीं थी। मैं

कोई पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ। सिंगला साहब, इसमें पार्टी का दृष्टिकोण नहीं है। हम सब को शर्म आती है जब हमारे मुख्य मंत्री या मंत्री हवाला में जाते हैं या दूसरे मुकदमों में जाते हैं या किसी तरह से जेलों में जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, कुछ मुद्दे खड़े होते हैं, उन पर सदन को विचार करना चाहिये। जैसे कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि यह चर्चा बहुत लम्बी हो सकती है, मेरा लम्बा बोलने का कोई इरादा नहीं है। सदन में साधारणतया मैं आर्थिक विषयों पर बोलता हूँ वह भी अंग्रेजी में बोलता हूँ। बिहार चूँकि हिन्दीभाषी प्रदेश है इसलिए मैं आज हिन्दी में बोलने का प्रयास का रहा हूँ और आपका सहयोग चाहता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था (व्यवधान) मैं आशा करता हूँ सिंगला जी और बहुत से अवसर आएंगे। आखिर आज की स्थिति जो बिहार में उत्पन्न हुई है, आपने, कांग्रेस ने समर्थन दिया, मेरी समझ में नहीं आया। कांग्रेस देश की सब से पुरानी पार्टी है, 110 साल की पार्टी है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि-आदि वरिष्ठ, वरिष्ठ, टालेस्ट आफ दी वर्ल्ड, की पार्टी है। आज इसको क्या हो गया है? आज भ्रष्टाचार में शामिल क्यों हो गई है? क्यों समर्थन दे रहे हैं? क्यों गैरहाजिर हो रहे हैं? यह आपके सोचने की बात है। मैं कांग्रेस के एडवाइस करने या सलाह देने का कोई अधिकार नहीं रखता हूँ लेकिन मुझे अफसोस होता है....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Singlaji, don't disturb him.

Agarwalji, you please address the Chair.

श्री सतीश अग्रवाल : सिंगला जी, मैं इतना ही कह सकता हूँ, मुझे 30-35 साल हो गये हैं लेजिस्लेचर में होते हुए आप मुझे डिरेल नहीं कर सकते। मेरा भाषण अच्छा ही अच्छा होगा, जितना आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे, उतना अच्छा होगा। मैं आपको कम हिट कर रहा हूँ और ज्यादा हिट कर दूंगा इसलिए आप शान्त बैठे रहें तो ज्यादा अच्छा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस संबंध में कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने यह रवैया क्यों अपनाया? अब लेफ्ट भी इस सरकार में शामिल है, वाम पंथी दल इस सरकार में शामिल हैं, वामपंथी दल बाहर से भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पर वह वहां पर दूसरी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके यूनाइटेड फ्रंट का संयुक्त

मोर्चे का मिजाज मूझे समझ में नहीं आया। हम सब कभी मांग करते हैं कि सरकार को भंग कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, बिहार में हालत बिगड़ गये हैं, बेकाबू हो गये हैं, छोटे से मुद्दे को ले कर गृह मंत्री इतने चिंतित हो गये हैं कि मुद्दे को ले कर गृह मंत्री इतने चिंतित हो गये हैं कि उन्होंने एक आदेश दे दिया कि जांच होनी चाहिए कि आर्मी के पास सी.बी.आई. के अफसर क्यों गये? वह हाई कोर्ट के आदेश से गये। हाई कोर्ट का आदेश संविधान की धारा 141 के अन्तर्गत हर सरकार को मानना जरूरी है, हर अधिकारी को मानना जरूरी है, हर एजेंसी को मानना जरूरी है। उनको हाई कोर्ट ने आदेश दिया। मैं पूछना चाहता हूं अगर कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट इश्यु हुआ तो क्या परम्परा हम इस देश में डालना चाहते हैं? एक अदालत नॉन बेलेबल वारंट जारी कर रही है, वह नॉन बेलेबल वारंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया कि हम पूरा सहयोग करेंगे लेकिन वह सहयोग नहीं करते हैं तो क्या रास्ता था सी.बी.आई. के सामने? उन्होंने हाई कोर्ट के सामने गुहार कोर्ट वह हाई कोर्ट है जो इस केस को मोनिटर कर रहा है, मोनिटरिंग एजेंसी हाई कोर्ट है। आप चाहें या नहीं चाहें हम कोर्ट ने जो मोनिटर कर रही है उसके पास सी.बी.आई. के लोग जाते हैं कि हम यह वारंट तामील नहीं कर सकते, क्या करें। तो वह कहते हैं कि आप आर्मी से सहायता ले लेकिन स्थिति क्या हुई, इस पर विचार कीजियें। यह स्थिति क्या हुई। मैं सोमपाल जी की बात मान भी लूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कि यह एजेंसी को आर्मी के पास जाना पड़ा। इसका मतलब यह है कि हालात इतने बेकाबू हो गये, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया, बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन इतना कोलेप्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट मंजीस्ट्रेट, चीफ सेक्रेटरी के हल्फनामा देने के बावजूद हाई कोर्ट के वारंट को तामूल नहीं करा सकते और रात को डेढ़ बजे लालू प्रसाद यादव के घर पर बैठ कर मंत्रणाएं करते हैं, मैं विस्तार से उन तथ्यों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह हालात पैदा हुए। इसलिए आज किसी न किसी प्रकार से इनकनविनियेंट आदमी को हटाओं उसकी छुट्टी करो, यह ऊपर से भारत सरकार का दृष्टिकोण लगता है जो मुझे दिखाई देता है। भारत सरकार तो बंटी हुई है। गुजराल साहब हेल्पलेस है। इससे ज्यादा देश का

दुर्भाग्य नहीं हो सकता, आजादी की 50 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इस देश की 95 करोड़ लोगों की सरकार और उसका प्रधानमंत्री आज हर मामले में कहता है कि मैं हेल्पलेस हूं। मैं क्या कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं इस्तीफा दें। मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। तीन बार उन्होंने कहा। जब इंदिरा गांधी थी, उनसे हमारे मतभेद थे, लेकिन इंदिरा गांधी का अगर मैसेज किसी के थ्रू जाए, जी-के-मूपनार या किसी के थ्रू संदेश भी पहुंच जाए कि श्रीमती इंदिरा गांधी यह चाहती है तो किसी मुख्य मंत्री का क्या मजाल है कि वह इस्तीफा न दें। लेकिन यह जनता दल की सरकार है। इसका प्रधान मंत्री तीन बार सार्वजनिक रूप से मांग कर रहा है कि इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, लेकिन वह इस्तीफा नहीं देते। आपके कहने के बाद इस्तीफा जब नहीं देते तो वह कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो यह ही सकता हूं। इतनी लाचारी है। इस लाचारी का परिणाम क्या होगा? इस लाचारी का परिणाम देश के दूसरे सैक्टर्स पर हो रहा है या अर्थ व्यवस्था पर हो रहा है, डब्ल्यू.टी.ओ. आब्लीगेशंस पर हो रहा है, देश के प्रशासन पर हो रहा है। आज हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की यह लाचारी हिन्दुस्तान को तबाही की ओर ले जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि सदन के माननीय सदस्य गंभीरता से इस पर विचार करें। बिहार बंद का क्या हुआ? बंद स्वाभाविक रूप से करते हैं। हमारे वामपंथी दल बहुत बार बंद करते हैं। केरल का एक फैसला हुआ वह अलग है। बंद करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी वामपंथी दलों द्वारा बंद के दौरान इस तरह के हालात नहीं देखे। अखबार में क्या लिखा है, उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार बंद के दौरान लालू समर्थकों का उत्पात रेल पटरियां, वाहनों, रेलों को तोड़ा। कान पकड़ कर उठक-बैठक कराई। अब यह क्या हालत हो रही है? यानी एक रेल का इंजन नहीं है, सिर्फ डिब्बे थे। सवारी बैठी थी। उसको धक्का दे दिया और चार किलोमीटर तक वह सवारियां भरी हुई रेल बिना इंजन के चलती रही। वह जाकर कहीं स्टेशन पर रोका। यह लिख है। ढलान के कारण इंजन रहित रेल का डिब्बा तेजी से चलने लगा। तेज गति से चार किलोमीटर दूर आधा दर्जन फटकों को पार करता हुआ मुंगेर रेलवे स्टेशन पहुंचा जहां पर इसको रोका गया। यानी क्या तमाशा हुआ? आज लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस रेल के डिब्बों में इंजन न हो, जिसमें सवारी बैठी हो उसको धक्का दे करके वह फाटकों को पार करता हुआ चला जाए, क्या यह लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं है? लोगों के कान पकड़ करके उठक-बैठक वकीलों की कराई जाए,

जिनको कहते हैं कि इन्होंने हमको जेलों में डलवाया है। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? आज वहां पर जा करके राजभवन को घेरते, हथियार खांडे और फरसे लेकर जाते हैं, और सी.बी.आई. के जो डाइरेक्टर हैं मि० विस्वास उसकी एफीजी जलाते हैं उसकी गर्दन काटते हैं। दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं हिन्दुस्तान की जनता की और दुनिया को कि हिन्दुस्तान में यह कोई सभ्य दल की सरकार है। मुझे राबड़ी देवी और उनमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपने परिवार में से किसी को बना दिया और आज वही राजशाही है। उसके बाद में उनकी लड़की मिनिस्टर, लड़की ने सब काम-काज संभाल लिया है। यह परिवार का चलने दीजिए, बिहार प्राइवेट प्रापर्टी है? यह प्राइवेट प्रापर्टी है। बिहार किसी की कि जिसके चाहे नॉमीनेट कर दे और जिसको चाहे उसको सारे देश की सब से बड़ी पार्टी उसका समर्थन दे और उस सरकार को बचाए जो कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, ऐसी सरकार को बचाए। देश की सब से डूबी हुई हो, ऐसी सरकार को बचाए। देश की सब से बड़ी पार्टी, ओल्डिस्ट पार्टी नेशनल पार्टी यह कांग्रेस के माथे पर भारी कलक है। मेरे मित्र इस बारे में सोचेंगे, मुझे कुछ नहीं कहना है। इस संयुक्त मोर्चे की सरकार में जो आज से तीन-चार महीने पहले प्रधान मंत्री थे उनका क्या कहना है? श्री देवेगौड़ा जी क्या कहते हैं? Shri Deve Gowda demands Bihar Government's dismissal.

पी.एम. क्या कहते हैं, PM says, the corrupt leaders will have to go to jail.

और सारे अखबारों को पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि राबड़ी देवी को बनाने में जहां सीता राम केसरी जी का हाथ था वहां श्री गुजराल साहब से भी सलाह-मशविरा हुआ। मैं अकेले सीता राम केसरी जी को दोष नहीं देता। उनकी अपनी राजनीति है। वह गुजराल साहब की जगह लेना चाहते हैं। ठीक है, वह लें। वह इस काबिल होंगे तो ले लेंगे। मुझे उसकी कोई आपत्ति नहीं है। हर आदमी को प्रधान मंत्री बनने का अधिकार है और सीता राम केसरी अगर इसकी तमन्ना रखते हैं और राज्य सभा को यह गौरव प्राप्त होने वाला है 1996 के चुनावों के बाद पहला प्रधान मंत्री राज्य सभा से, दूसरा प्रधान मंत्री राज्य सभा से और तीसरा प्रधान मंत्री भी राज्य सभा से, अगर राष्ट्रपति तो राज्य सभा से, अगर इतनी फर्टाइल राज्य सभा है तो हमें गौरव होता है, इस बात का कि राज्य सभा फर्टाइल है।

....(व्यवधान)

तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, साल्वे साहब को मालूम होगा कि सन् 1951 में क्या हुआ।

एक मिस्टर मुदगल थे, मैम्बर आफ पार्लियामेंट, उन पर दो हजार रूपए की रिश्वत का आरोप था। दो हजार रूपए की रिश्वत, सवाल पूछने के मामले में। क्या हुआ? क्या इंतेजार किया गया, हाईकोर्ट में कोई पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन हुआ, हाईकोर्ट का कोई डायरेक्टिव था, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था, नहीं, किसी का डायरेक्टिव नहीं था। तो फिर क्या हुआ? उस समय के हिन्दुस्तान के तात्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, स्वयं ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया ससंद के भीतर। मैं उसकी केवल चार लाइनें पढ़ना चाहूंगा—

"In moving the motion forth, the Prime Minister said that the dignity of the House is the proper behaviour of every hon. Member so dear to the House. He felt that any action taken by the Member which might not be in consonance with the propriety and good behaviour and what is expected of him should be enquired into."

यह प्रस्ताव कमेटी बनाने का पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखा। इसके बाद दुर्भाग्य से इस देश में एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जिसने किसी सासंद के दुराचरण के संबंध में ससंद की समिति बनाने के बारे में कभी कोई प्रस्ताव रखा हो। आई सैल्यूट देम। यह प्रस्ताव उन्होंने रखा और यह प्रस्ताव हम जैसे कुछ लोगों के लिए जीवन भर प्रेरण का स्रोत रहेगा कि यह वह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक सदस्य को दो हजार रूपए की रिश्वत के मामले में यह प्रस्ताव रखा था और उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी थी। सदस्यता समाप्त कर दी थी और उस संबंध में छोटे-छोटे मामलों में बाद में क्या हुआ, कितने मंत्रियों को जाना पड़ा, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। कितने ही इन्क्वारी कमीशन बैठे, मूढ़ड़ा कांड हुआ, फलां कांड हुआ, उन सारी चीजों में मैं नहीं जाना चाहता। आज क्या स्थिति है? आज यह स्थिति जिस प्रकार की बनी हुई है, मैं समझता हूं कि इससे सारी व्यवस्था टूट गई है। मैं उन सब चीजों में सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन आज बिहार सारी लोकतंत्रीय व्यवस्था पर, हमारी मान्यताओं पर हमारी परंपराओं पर एक कलंक का धब्बा बन गया है। वहां जो हालात बने हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, लागत है कि आज बिहार एक प्राइवेट परसन की प्राइवेट प्रोपर्टी बन गया है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। वहां पर कोई

सभ्य पार्टी की सरकार नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, जो कल तक जनता दल का हिस्सा था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज अजीब स्थिति है। आप सोचिए तो सही। राष्ट्रीय जनता दल युनाइटेड फ्रंट में नहीं है, मगर उनके मंत्री हैं। यहां ऐसे मंत्री हैं, जो किसी दल मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। यहां ऐसे भी मंत्री हैं, जो सदल युनाइटेड फ्रंट में नहीं हैं, लेकिन सरकार में मंत्री हैं। ऐसी भी स्थिति इस देश में हो रही है। यह लोकतंत्र के साथ मखौल हो रहा है। आप हमको बाहर रखना चाहते हैं। हम तो बाहर हैं। कब तक रखोगें? कब तक रखोगे? आप रख लीजिए। सैकुलरिज्म के नाम पर भा.ज.पा. को बाहर रखना एकमात्र मुद्दा है आप सबको एक रखने का। सबको भा.ज.पा. कोई अच्छी बात भी कह दे तो आप यह कहेंगे कि भा.ज.पा. ने प्रस्ताव रखा है, इसलिए इसका समर्थन नहीं करना है। जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था तो 184 का प्रस्ताव आया। कांग्रेस ने कहा कि यह भा.ज.पा. का प्रस्ताव है। अगर भा.ज.पा का है, तो हमारे साथ बैठते क्यों हैं? इस हाऊस से बाहर चले जाए। हमारे साथ, सब कमेटियों के चुनाव होते हैं तो बैठकर, मिलकर समझौता क्यों करते हैं कि यूनेनिमस? आप यह क्यों करते हैं हमारे साथ बैठकर? हम आपस में लीडर्स की मीटिंग में बैठकर एक कोर्डिनेशन करके कनसेंसेस पर क्यों पहुंचते हैं? हम और बिप्लव दासगुप्त, गुरुदास, डा. अशोक मित्र, नीलोत्पल बसु वहां साथ बैठकर चाय क्यों पीते हैं? क्या दुनिया नहीं देखती इस बात को, कि सेंट्रल हॉल में चाय पीते हैं मित्रता का भाव रखते हैं, गले से गले मिलते हैं, और नमस्कार करते हैं? कोई दवेश दुश्मनी नहीं है, फिर हाऊस में क्या हो जाता है आपको? इस हाऊस में ऐसा क्या है जो आपको काटने दौड़ता है, जो आप कहते हैं कि भा.ज.पा. का प्रस्ताव है? यह कब तक चलेगा? देश की जनता देख रही है। भा.ज.पा को जल्दी नहीं है। आप थोथी बातों के आधार पर चलते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस कुर्सी पर, 50 साल राज्यसभा को हो गए, किसी मुसलमान को आपने, किसी पार्टी ने बैठाया इस कुर्सी पर? सिकन्दर बख्त साहब को भा.ज.पा. ने ही तो बैठाया है। सिकन्दर साहब को जो बैठाया है, हमने बैठाया है। हमारे मन में यह दवेश नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं।(व्यवधान)...

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : इस सदन के अध्यक्ष भी माइनोरिटी के रहे हैं। आप अपने तथ्य को जरा देख लीजिए।(व्यवधान)...

श्री सतीश अग्रवाल : मैं केवल अपनी गलती(व्यवधान)...

श्री सोमपाल : आप यह हिसाब-किताब मत दीजिए। इस संबंध में जो क्रेडिबिलिटी है, वह सबको मालूम है। आप जो कहिए, हम कोई प्रतिवाद नहीं करना चाहते, परन्तु इस सदन के अध्यक्ष भी माइनोरिटी के रह चुके हैं।

....(व्यवधान)...

श्री के.आर. मलकानी : हमको किसी से क्रेडिबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपने पास रखिए।

....(व्यवधान)...

श्री सोमपाल : आपके प्रमाण-पत्र से बिहार की सरकार नहीं चल रही है, वह वहां से चुने हुए प्रतिनिधियों के इलेक्शन से चल रही है।

....(व्यवधान).... आपकी कृपा पर नहीं चल रही है।

....(व्यवधान)...

श्री सतीश अग्रवाल : उन चुने हुये प्रतिनिधियों से और कांग्रेस के समर्थन से चल रही है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): Please conclude, Mr. Agarwal.

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश) : 6 दिसम्बर के बाद सिकन्दर बख्त जैसे आदमी की आपको जरूरत पड़ती है। हिन्दुस्तान के बाहर भेजने की। अफसोस की बात है कि जिम मुल्क में आपको मार्नारिटीज के साथ मोहब्बत का बर्ताव रखना चाहिए, आप अपने एक सीनियर मैम्बर को बाहर भेजते हैं अमेरिका और कनाडा, यह क्या है? यही हमारा हिन्दुस्तानी मुसलमानों के साथ बेहतर और अच्छा रवैया है? यह आप खुद गए, हम नहीं भेज रहे। मैं कहना चाहता हूं इस हाऊस के अंदर कि आज इस सर्टिफिकेट की आकपो जरूरत नहीं है, आप हमारे सीनियर लीडर हैं, हम आपका बेपनाह अदब और लिहाज करते हैं सिकन्दर बख्त जी का मैं बेपनाह अदब और लिहाज करता हूं। अगर आप हिन्दुस्तान में वाकई सैकुलरिज्म चाहते हैं तो आपको हिन्दुस्तान में माइनारिटीज के साथ बेहतर और अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा ताकि 6 दिसम्बर जैसी बातें न हो और हम रोज दिल से एक दूसरे के साथ मिलें और हिन्दुस्तान को मजबूत करने का काम करें।(व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवाल : यह नया आरोप नहीं है। 50 साल पहले भी यह आरोप था हमारे ऊपर, यह नया नहीं है।(व्यवधान).... हम पर साम्रादायिकता का आरोप तो आप बरसों से लगाते रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे और भी साथी बोलने वाले हैं, मैं इस संबंध में केवल एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह है कि यह देश हमेशा सैकुलर रहा है, सैकुलर है और सैकुलर रहेगा, चाहे कोई भी दल सत्ता में आए। इस देश का जो सैकुलर कांसेप्ट है प्रारम्भ से, हजारों वर्षों से, कोई भी दल इसको समाप्त नहीं कर सकता।

श्री वसीम अहमद : नहीं कर सकता, यही तो हम कह रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : आप यह समझ लीजिए। It has been made abundantly clear on several occasions that the Indian State has been a secular state, is a secular state and will continue to be a secular state despite any party coming to power at the Center हिन्दु और मुसलमान दोनों इस भारत माता की संतान है, यह निश्चित मानकर चलिए और इसीलिए आप यह मानकर चलिए कि इस संबंध में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी फोकस, स्टैस या इम्पेफेसिस या किन्हीं बातों पर अंतर हो जाता है और इसलिए गलतफहमियां पैदा हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे एक नारे को लेकर यह जो नकारात्मक एकता है, यूनियन फ्रंट की सरकार जो आज मुश्किल में है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि You have come together on a negative platform. You come together on a positive platform. Why don't you have Congressmen in your Ministry? 140 का दल तो बाहर बैठा हुआ है, 55-60 के करीब वामपंथी है, उनमें सिवाय सी.पी.आई. को छोड़कर वे सब बाहर बैठे हुए हैं, पांच-पांच, चार-चार, तीन-तीन, दो-दो, एक-एक पार्टी नुमाइंदों को लेकर आप सरकार चला रहे हैं, यह देशहित में नहीं है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उपसभाध्यक्ष जी, कि मुझे बहुत दुख होता है इस संदर्भ में जब मैं बिहार के बारे में बात करता हूँ, और मैं आपको सोमपाल जी, आप तो नजदीकी रहे हैं उनके, कुछ दिनों से आप ज्यादा ज्ञान है और आप ज्यादा ज्ञानी हैं, इसलिए आप उनको समझाएं। मेरे अनुमाना से अहंकार और कृतघ्नता, इन दोनों को ईश्वर कभी साफ नहीं करता। जब व्यक्ति को यह अहंकार हो जाए कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, कौन मुझे हटा सकता है। There will be a blood-bath in Bihar. बिहार में आग लगे जाए भले ही। बंद के दौरान क्या हुआ, मैं

विस्तार में नहीं जाना चाहता, शत्रुघ्न सिन्हा जी वहां से आए हैं, अभी आए हैं या कल आए हैं, वे बोलेंगे तो बताएंगे या और साथी बताएंगे, लेकिन जब यह हो जाता है।....(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Agarwalji, you have taken 27 minutes. You have taken all the time of your party. There is one more speaker. Please conclude.

श्री सतीश अग्रवाल : मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो मेरा निवेदन यह है कि अहंकार नहीं रहा, और हमारे अपने जमाने में श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 में हार गई और हम जनता पार्टी में आए, अढ़ाई साल में हमारा अहंकार भी कष्ट हो गया और वी.पी. सिंह 89 में आए, 11 महीने में उनका अहंकार नष्ट हो गया। चन्द्रशेखर जी 6 महीने में चले गए देवेगौड़ा जी 10 महीने में चले गए...(व्यवधान)...

श्री वसीम अहमद : आप 13 दिन में चले गए।

श्री सतीश अग्रवाल : इसलिए अहंकार कभी भी चलता नहीं है। कारण क्या होता है? मैं तो समाप्त कर रहा हूँ। आज बिहार में स्थिति बहुत भयानक है, विस्फोटक है। मैं समझता हूँ कि अगर बिहार की जनता को बचाना है तो तुरन्त कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। वहां सारी इकॉनमी कोलेप्स हो गई है, वहां फाईनेशियल क्राइसिस है।

There is chaos in Bihar. There is anarchy in Bihar. I think this is the most appropriate time so far as Bihar is concerned, to dismiss the Government, to impose the President's rule in the interest of the State and its people. I am not demanding the imposition of President's rule on account of any political consideration, as has been done by the friends of the United Front Government.

यह वहां के हित में होगा। वहां 10 लोगों की हत्या हो गई। वहां तो सारी व्यवस्था कोलेप्स कर गई है, पुलिस कोलेप्स कर गई है। सी.बी.आई. तो सेंट्रल एजेंसी है तभी तो आर्मी के पास जाना पड़ा। उनका प्रोसीजर लैप्स होगा पर वह इतना बड़ा क्राइम नहीं है। आपने उसकी इन्क्वायरी की है, कीजिए, अच्छी बात है।

I hold no brief for anybody. My views are very clear and Som Pal Ji said the right thing, that the C.B.I should have

approached the High Court. But now, I have come to know from the newspaper reports that the C.B.I. sought the nod from the High Court, rightly or wrongly, and the Supreme Court or any High Court does not advise. It directs and it was more or less a direction which was given to the C.B.I. to seek the Army help, which they sought. If there is any procedural lapse, you can look into it.

मैं समझता हूँ कि अब ज्यादा समय नहीं खोना चाहिए। समय निकलता जा रहा है और हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। गौरवशाली बिहार और आज का बिहार, कितना अंतर है इन दोनों में। बिहार की जनता की भलाई के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि बिहार सरकार को बरखास्त करो और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू करें। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Thank you, Mr. Agarwal. Mr. Agarwal, you have taken twenty-nine minutes. May I call Mr. Ahluwalia now?

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार के मसले ने ससंद के इस सत्र में बहुत गरमाहट पैदा की है, और इसी गरमाहट के कारण आज हम यहाँ इस मसले पर विचार कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... आप जितना परेशान करियेगा उतना परेशान होइएगा। मैं मक्खन लगाऊंगा या घी डालूंगा या पानी डालूंगा, वह तो आपको बाद में मालूम होगा ...**(व्यवधान)**... महोदय, इनकी पार्टी के सदस्य जब बोल रहे थे तो मैं चुप बैठा सुन रहा था ...**(व्यवधान)**...

महोदय, हमारे पूर्व वक्ता श्री सतीश अग्रवाल जी ने बिहार की उपमा देते हुए बहुत सारे नाम गिनाए। बिहार ने बहुत सारी चीजें इस देश को दी हैं- सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, सभी कुछ दिया है और बिहार नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था और सारे लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। महोदय, जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने हमारी संस्कृति और सभ्यता के पूर्व पुरुष नजर आते हैं और उन पूर्व पुरुषों में इन्होंने गौतम बुद्ध को गिनाया है जिनको बिहार में ही बोधगया में निर्वाण प्राप्त हुआ। इसी तरह से भगवान महावीर जिन्होंने जैन धर्म चलाया। गुरु गोविन्द सिंह ने गंगा के तट पर जन्म लिया और सिक्ख धर्म चखाया,,

खालसा पंथ चलाया जिसका मैं अनुयायी हूँ। यही नहीं सम्राट अशोक, जिसको चांडाल अशोक के नाम से इतिहासकारों ने लिखा है, वह अशोक धर्म भी इसी बिहार में बना था। जब वह कलिंग की लड़ाई लड़कर आया, इतना खून-खराबा हुआ, लाखों लोग मारे गए, जब वह विजय हासिल करके आया तो उसने सुना कि जिस बेटी और बेटे के लिए वह इस लड़ाई को लड़ रहा था, वे "बुद्ध शरण गच्छमि" कहते हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए हैं। वह सम्राट अशोक जो चांडाल अशोक कहलाता था, हाथ जोड़ कर विनती करता था बौद्ध भिक्षुओं के सामने जिसकी तलवार में इतनी ताकत थी, वह हाथ जोड़ता था और कहता था कि मेरे बच्चों को वापिस कर दो। जब वापिस नहीं मिले जो अंत में अपने शस्त्रागार को सबसे बड़ी आर्मरी थी उसके पास, उन्होंने उसको गंगा में फेंकवा दिया और शांति के दूत बनकर खुद भी बुद्धम शरणम् गच्छमि करते हुए धर्म के प्रचारक बने और धर्म प्रचार के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। महोदय, चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा। कौटिल्य के बारे में आपने सुना होगा, जिस कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें मार्गदर्शन दिया, जिस कौटिल्य की जूरिसप्रूडेंस ने सारी दुनियां को जूरिसप्रूडेंस पढ़ाया। कौटिल्य का जूरिसप्रूडेंस जब पढ़े तो हमें सारी चीज का पता लगता है। महोदय, ब्रिटिश जूरिसप्रूडेंस भी पढ़ा। तब भी हमें पता लगता था, बार-बार इस सदन में मैं बात उठा चुका हूँ कि हमारा जूरिसप्रूडेंस कहता है "Till the guilt is proved, everybody is innocent". और यह जूरिसप्रूडेंस आधार है सारे और कानूनों का। महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे कानूनों का। महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसी किताब की फोटो कापी है जहाँ पर पुराण काल से लेकर आज तक जितने करप्शन हुए और सारे के सारे लिखे हुए हैं और मैं अगर यह पढ़ने लगूँ तो आप फिर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि जजेज के खिलाफ मत बोलिए क्योंकि सारे करप्शन, जार्जज जजेज पर सबसे ज्यादा है। चाहे वह ग्रीश के हों, चाहे इंग्लैंड के हों और चाहे मुगल सम्राट के टाईम के हों। यह किताब मेरी लिखी हुई नहीं है। यह किताब बड़े-बड़े इतिहासकारों की लिखी हुई है, एन्सैक्लोपीडिया की है और यह सारे चार्जज तथा हमारे जो सिस्टम है-क्या हैं? एक है कसूरवार, दूसरा है कम्प्लेनेंट, तीसरा है प्रोसीक्यूशन और चौथा है जुडिशियरी। जहाँ पर महोदय, अर्थशास्त्र में बड़ें क्लियर लफ्जों में कहा है कि जजेज कोई भी एक्यूज्ड।

"Though judicial corruption is often referred to, the standard set for Judges and Magistrates is very

high; they are to be learned, religious and devoid of anger and as impartial as if humanly possible. To prevent bribery it is suggested that no private interview should be allowed between Judges and litigants till the cases are settled. The Arthashastra Advises that the honesty of Judges should be periodically tested by agents provocateurs while Vishnu Smriti prescribes banishment and forfeiture of all property for a Judge found guilty of corruption and injustice, the most severe penalty a Brahmin could incur under the sacred law."

यह किताब मेरी लिखी हुई नहीं है। महोदय, कोई कारण हुआ होगा जो...(व्यवधान)...

PROF. RAM KAPSE: Has he touched the topic? He has not touched the topic.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am touching. Don't worry. यह बिहार का ही है। आपकी समझ में नहीं आने वाला। महोदय, यह आज की लिखी हुई नहीं है। यह पुरानी चीजें हैं जिनका प्रचार हमारे साथी सबसे ज्यादा करते हैं।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश) : महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : मिरी साहब, आप जरा सुन लीजिए। आपने वकालत की है यह मुझे मालूम है। आपने छत्तीसगढ़ से वकालत की है, मैंने कलकत्ता से की है। उपसभाध्यक्ष महोदय, उन किताबों को मैं कोट कर रहा हूँ जिनका प्रचार किया है। आखिर कुछ न कुछ तो था जिसके कारण कौटिल्य को अपने अर्थशास्त्र में यह सारी चीजें लिखनी पड़ी। यह बातें चलती आयी हैं और आज एक परम्परा शुरू हो गयी है। हमारे ऐक्यूज्ड, कंप्लेनेंट प्रॉसीक्यूशन और ज्यूडीशियरी के बीच पब्लिक इन्टरेस्ट लिटीगेंट्स भी आ गये हैं। और यह पब्लिक इन्टरेस्ट लिटीगेंट्स जब जजिज के साथ बैठकर बातें करते हैं, प्राइवेटली मिलते हैं तो उन पर कोई आपत्ति नहीं होती है, इसका प्रचार होता है। आस्था दिन पर दिन कम होती जा रही है। महोदय, कुछ कारण तो ऐसे हैं जब पी. डब्ल्यू.जी. बना, जब नेक्सलाइट मूवमेंट बना, गांव-गांव में, देहात-देहात में लोगों ने स्कूल-कालेज जलाने शुरू कर दिये। अभी मेरे पूर्व साथी बता रहे थे कि बिहार में कई वर्षों तक कनवोकेशन नहीं

हुई। कई वर्षों तक कनवोकेशन न होने के पीछे कारण क्या है? लोगों ने उस वक्त डिग्रियां फाड़नी शुरू की जब उन्होंने देखा कि इस डिग्री से मुझे नौकरी नहीं मिलती है। कनवोकेशन होते थे। वाइस चांसलर और चांसलर के सामने लोग डिग्रियां फाड़ने लगे। इसकी शुरुवात नैक्सलाइटों ने की। इसकी शुरुआत जब नवनिर्माण समिति ने गुजरात में आन्दोलन शुरू किया, तब हुई। जिस संस्कृति और सभ्यता के बिहार को बदनाम किया जा रहा था, वह संस्कृति और सभ्यता किसने सिखाई? आज कहा जा सकता है कि वकीलों को कान पकड़कर उठाया और बैठाया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक्त सर भूंडकर-नवनिर्माण समिति का आन्दोलन चला-तो उस वक्त विधायकों और लोक सभा के सदस्यों का सर मूंडकर, मुंह काला करके गधे पर चढ़ाया जा रहा था। इस संस्कृति की शुरुआत कितने की? यह कौन सी संस्कृति है? इसके जन्मदाता कौन हैं?...(व्यवधान).... और उस जन्मदाता में आप हिस्सेदार थे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Ahluwalia, I request you to come to the point. We are discussing the current situation in Bihar.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I am coming to the point. They have raised certain issues concerning my party. I am replying to those points.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : आप सर्पोट कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : मैं क्यों सर्पोट रहा हूँ, बताऊंगा। महोदय, हमारे पूर्व वक्ता ने राजे-महाराजे की बातें की हैं। उनके दिमाग से राजे-महाराजे उतरते नहीं हैं। राजे-महाराजे की प्रथा खत्म हो गयी है। अब जनता की प्रतिनिधि मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री बनता है। जनता जिसको चुनकर लाती है, वह जनता है और बनकर बैठ गये। अब जहां तक हमारा इनको समर्थन करने का या नहीं करने का सवाल है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। 1996 में सारी की सारी पार्टियों ने अपने मैनीफेस्टों में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, कांग्रेस के खिलाफ लिखा और कौन कम घातक हो सकता है, राष्ट्र के हित में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यह फैसला लिया गया।

Discussion on

1. 00 P.M.

महोदय, बिहार में जिस दिन लालू यादव मुसाहरों को गांव में गए, जहां पर हम पीने का पानी और नहाने का पानी उपलब्ध नहीं करा सके थे ...**(व्यवधान)**...

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है, यह बोलिए । ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : भ्रष्टाचार का मतलब मालूम है आपको ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अग्रवाल : पंचवर्षीय योजना में उन्होंने क्या किया । इसको छोड़ दें ...**(व्यवधान)**... डेढ़ हजार करोड़ की योजना ...**(व्यवधान)**... 25 हजार करोड़ की योजना सैंक्शन हुई थी ...**(व्यवधान)**... वह घटाकर 13 हजार करोड़ की गई ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): One minute... **(Interruptions)**...

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : यदि आपको बोलना ही है तो कृपया करके इस पर बोलिए कि क्या कोई मुख्य मंत्री इस तरह की घोषणा कर सकता है और आप उसका समर्थन करेंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : क्या ...**(व्यवधान)**...

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : कोई मुख्य मंत्री यह कहे कि मैं जेल में रहकर शासन चलाऊंगा तो क्या मुख्य मंत्री लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अग्रवाल : वहां हिंसा होगी ...**(व्यवधान)**...

श्री नागमणि (बिहार) : बिहार के बारे में बताइये कि हिंसा हुई है ...**(व्यवधान)**...

एम माननीय सदस्य : हम यहां बिहार की स्थिति सुनने आए हैं, उपदेश सुनने नहीं आये हैं ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI JOHN F. FERNANDES): I want to take the sense of the House. Should we adjourn for lunch? I have here the names of 11 more speakers and there are 14 names for clarifications and only after that will the Home Minister reply. Should we adjourn for lunch?

SOME HON. MEMBERS: Sir, adjourn the House for lunch.

« » fiiTiar

THE ' VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): The House stands adjourned for lunch till 2 p.m.

The House the adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock, the Vice Chairman (Shri Vayalar Ravi) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI VAYALAR RAVI): Let us resume the Short Duration Discussion. Shri S.S. Ahluwalia to continue.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि दुर्भाग्य उस वक्त लालू प्रसाद यादव का शुरु हो गया जब वह मुसाहर के घर गये ।

हमारे पूर्व वक्ता सतीश अग्रवाल जी ने गरीबी रेखा तथा इल्लीट्रेसी के आंकड़े गिरवाए । यह सारी फिगरज कहीं दो वर्ष में नहीं बढ़ गई या चार वर्ष में नहीं बढ़ गई । हम पिछले 50 वर्षों में बिहार कम दे पाए है, यह महसूस होता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जर्नादन यादव (बिहार) : राज किस का था?

श्री एस. एस. अहलुवालिया: यह महसूस होता है । यह देश का दूसरा राज्य है जहां जनसंख्या सब से ज्यादा है । वहां हम लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं कर सके । पीने का पानी उपलब्ध नहीं कर सके, स्कूल नहीं बना सके, हेल्थ सेंटर नहीं बना सके, सड़के नहीं बना सके, रोजगार नहीं दिला सके । शायद लालू प्रसाद यादव ने सोचा कि मैं इन गरीबों को न्याय दिलवाऊं । जिन अफसरों के पास लाल बत्ती की गाड़ियां हैं जैसे डी.एम., एस.डी.ओ. एस.पी., डी.आई.जी., आई.जी. और कमिश्नर, इन सब अफसरों को लालू प्रसाद यादव ने बुलवाया और उनको मुसाहरों के गांव ले गये । मुसाहरों को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां क्यों उनको ले कर आ पाए हैं और साथ में दमकल की गाड़ी भी आई । क्योंकि उनको यह अहसास था कि जब ऐसी गाड़िया हमारे गांव से गुजरती हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री सूर्य भान पाटिल वाहादने (महाराष्ट्र) : मेरा प्वाइंट आफ ऑर्डर है । सदन में कोई भी केबिनेट मिनिस्टर उपस्थित नहीं है । ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : यह केबिनेट मिनिस्टर नहीं है गृह मंत्री नहीं है ... (व्यवधान)...

श्री जर्नादन यादव : यह केबीनेट मिनिस्टर नहीं है । उस दिन जिसके लिए महाराष्ट्र का डिस्कशन बंद हो गया था। इसलिए बंद हो गया था क्योंकि गृह मंत्री सदन में नहीं थे । ... (व्यवधान)...

श्री सूर्यभान पाटिल वाहादने : केबिनेट मिनिस्टर नहीं है ।

श्री सतीश अग्रवाल : मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम भी नहीं है । ... (व्यवधान)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): When a subject is under discussion the Minister concerned should be present.

SHRI SATISH AGARWAL: Either the Home Minister or his deputy should be present in the House.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I did not notice it. I have just obeyed your order. It is very unfortunate that none of the Ministers is present in the House. The other day the House was adjourned because the concerned Minister was not present here. Today we are discussing the prevailing situation in Bihar and the attempt of the CBI to seek Army's assistance. Both these aspects concern the Home Ministry. And we are going to seek clarifications also. But neither the Home Minister nor his deputy is present in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI VAYALAR RAVI): Let me find out if we can send a message to the Home Minister.

SHRI S.S. AHLUWALIA: The House cannot wait for them. For the time being, you please adjourn the House. Let them come. Till they come, let the House be adjourned.

SHRI SATISH AGARWAL: At least the Minister of State should have been present in the House.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI VAYALAR RAVI): The issues being raised are very important. As the Chair ruled the other day, the Minister

concerned must show respect to this House by being present in the House when their subjects are under discussion. I think either the Home Minister or his deputy ought to have been present in the House. Even the Parliamentary Affairs Minister is not present. May I know if we can wait for 2-3 minutes?

SHRI S.S. AHLUWALIA: The House cannot wait for them. This House cannot wait for anybody.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI VAYALAR RAVI): I appreciate the anguish expressed by the hon. Members. But our hon. Member has said that the Minister is coming and he is on his way. So, shall we wait for two minutes? If he does not turn up within two minutes, I will adjourn the House....The Home Minister is coming.

श्री संजय निरूपम : महाराष्ट्र के बारे में एडजर्न किया गया था । ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI VAYALAR RAVI): It is not a party matter. It is a matter concerning the House. I am glad that the Home Minister is here. Let us continue the discussion. Shri Ahluwalia.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार) : उस दिन जीरो आवर और स्पेशल मेशन चलाते रहे ... (व्यवधान) ... आज दो मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते ... (व्यवधान)...

† شری جلال الدین انصاری: اس دن زیرو آور اور اسپیشل مینشن چلاتے رہے۔ "مداخلت" آج دو منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ "مداخلت"...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जैसा बता रहा था कि ऐसे गरीबों के गांव में जब गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसी गाड़िया जब आती हैं तो कभी इनकी गाड़ियों के तले हमारी मुर्गी दब जाती है, कभी बकरी का बच्चा दब जाता है, कभी हमारा बच्चा दब जाता है, आज भी कुछ होने वाला है क्या? पर जब

उन गाड़ियों से निकले नाई और नहलाने के लिए लोग निकले और उन बच्चों को और महिलाओं को जिन्होंने नहाने के लिए पानी नहीं देखा था, लगाने के लिए तेल नहीं था, करने के लिए कंधी नहीं थी, उनको जब मुफ्त कंधी बांटनी शुरू की, तेल बांटना शुरू किया और शैंपू बांटना शुरू की, तेल बांटना शुरू किया और शैंपू बांटना शुरू किया तो उस दिन मुझे महसूस हुआ था कि यह अन-नैसेसरी अपने दुश्मन बढ़ा रहा है। एक तरफ गरीबी को तो अपने साथ ले लेगा किन्तु जो परंपरा इसने अपनायी है जरूर लोग इसके दुश्मन बन जायेंगे और यह दुश्मनी बढ़ती गई। यह जेलस बढ़ता गया कि क्यों यह दिन पर दिन प्रभावित होता जा रहा है और क्यों ऐसे काम करता जा रहा है। महोदय, यही कारण है कि आज वह ऐसे घरे में हैं। लोगों ने यहां पर नैतिकता पर सवाल उठाए कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 1977 में जब पहली जनता पार्टी की गर्वमेंट बनी उस वक्त जार्ज फर्नांडेज पर बड़ोदा डायनामाइट केस था और दूसरा केस था सी.बी.आई. का ट्रायल चल रहा था सी.बी.आई. केन्द्र सरकार के अंतर्गत काम करती है और उन्हें मंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद केस को विदड़ा किया गया, केस को खलाम किया गया। महोदय, नैतिकता की बात जब हम करते हैं तो सोचना चाहिए कि नैतिकता क्या है। हमारा संविधान क्या कहता है। महोदय, राज्य सरकार के अंतर्गत सी.बी.आई. काम नहीं करती, सी.बी.आई. केन्द्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। सी.बी.आई. कोई केस फाइल करे किसी राज्य सरकार के मंत्री के खिलाफ या मुख्य मंत्री के खिलाफ तो उस पर कोई बंदिश नहीं। संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ कि मंत्री को उसी वक्त इस्तीफा में कहीं लिखा नहीं हुआ कि मंत्री को उसी वक्त इस्तीफा दे देना पड़ेगा। नैतिकता की बात करते हैं, मैं कहता हूं जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जेल से सरकार चलायेंगे, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं, उन्होंने गलत कह दिया। मैं कहता हूं गलत नहीं कहा, उनका कहने का तरीका शायद गलत था। क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं भी व्याख्यान नहीं है कि एक आदमी जेल से सरकार चला सकता है या नहीं चला सकता। एक आदमी जेल से चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ कर जीत सकता है। पार्टी का लीडर इलेक्ट होने के बाद जब पार्टी गर्वनर को चिट्ठी देती है कि यह मेरा मुख्य मंत्री बनेगा तब राज्यपाल का सिर भारी जरूर हो सकता है। मैं क्या करूँ, अब उनको जेल में जाकर शपथ दिलाऊँ या जेल से बाहर लाऊँ। यह सिरदर्दी उनकी थी। नैतिकता का सवाल जहां तक आता है, महोदय, एक धर्मात्मा कोई कुर्कम में फंस गया जैसे गुजरात में एक स्वामी जी एक ट्रायबल महिला के

रेप केस में फंस गए। उन स्वामी जी को लोग दंडवत करते थे। जुडीशियरी ने क्या कहा? जुडीशियरी ने कहा कि इनकी नैतिकता या इनकी मॉरेल वैल्यूज यहां नहीं है, इंडियन पीनल कोर्ट और सी.आर.पी.सी. क्या कहता है, वह मैं सुनूंगा तो जुडीशियरी के सामने नैतिकता की, आपकी मॉरेल वैल्यूज की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ मैरिट, की वैल्यू है। आपके केस का मैरिट क्या है उसकी वैल्यू है। नैतिकता आपके ऊपर होती है। क्योंकि हमारे देश में साध भी पूजा करते हैं और चोर भी पूजा करते हैं और बंगली में कहावत है कि चोरी न सुने धरमेर कथा, किसको सुनायेगे किसकी कथा। आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं वह कहता है कि यह आरोप गलत है कि यह आरोप गलत है। मेरे ऊपर आरोप लगता है तो मैं कहता हूं कि यह आरोप गलत है आरोप सिद्ध करने के लिए कोर्ट में जाया जाता है। महोदय, कोर्ट की परंपरा है कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है, चार्ज फ्रेम होता है और चार्ज फ्रेम के होते उस टाईम वह कहते हैं:

“आर यू प्लोडिंग गिलटी और नॉट”

तो कहता है, नहीं साहब, मैं गिलटी नहीं हूं। तो कहते हैं, “ओ.के., इफ यू आर ओपोजिंग द चार्जेज यू फेस द ट्रायल।”

और अगर कहे हां, आई प्लीड गिलटी, अपने आपको गिलटी महसूस करता हूं तो उसी टाईम उसको सजा सुना दी जाती है। महोदय, यह हमारी जुडीशियरी का सिस्टम है। हम उसको कैसे रोक सकते हैं।

हमारे केन्द्रीय सरकार के अधीन सी.बी.आई. चलती है। अगर यह नैतिकता का सवाल उठने लगा और ऐसे ही इस्तीफे होने लगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि केन्द्र सरकार किसी दूसरे दल द्वारा शासित होगी और राज्य सरकार किसी दूसरे दल द्वारा शासित होगी तो कोई भी इन्स्पेक्टर महोदय जाकर केस फाइल कर देगा और उस पर उस राज्य की सरकार गिर दी जाएगी। केन्द्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को आसानी से, 356 इनवोक किए बगैर ही गिरा सकती है।

महोदय, अभी हाल में हम लोगों ने देख कि मदन लाल खुराना जी को इस्तीफा देना पड़ा, मगर क्या हुआ? अभी मैंने अर्थशास्त्र से पढ़कर सुनाया कि अगर इनजस्टिस भी किसी जज ने किया है तो उसकी भी प्रोपर्टी कॉन्फेस्टीकेट कर ली जाती है। यहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस फाइल हुआ, डेजिगनटेड कोर्ट ने चार्ज फ्रेम भी किए और हाईकोर्ट ने क्वास कर दिया। इस बीच मदन लाल खुराना जी को इस्तीफा देना पड़ा

मुख्यमंत्री पद से और अडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा लोकसभा का। अगर अडवाणी जी 1996 का चुनाव जीतकर आए होते तो 13 दिन के प्रधानमंत्री शायद आडवाणी जी बनती। यह सब एक केस के कारण ही हुआ। अब अगर वह एक केस के कारण ही हुआ। अब अगर वह केस स्टेण्ड नहीं करता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह मूल प्रश्न है और इस मूल प्रश्न पर हमें जाना चाहिए क्योंकि मेरिट केस का कौन क्या है, प्लस या माइनस है, पोलिटिव या निगेटिव है, इसका डिस्मिशन, प्रोसीक्यूशन जुडिशियरी करेगी और डिफेंस लॉयर करेगा। यह काम हमारा नहीं है, पर उसके कनक्विन्स पर विचार करने की जरूरत है। कचहरी से कोई फैसला हो न हो, उसके पहले हम फैसला कर देते हैं, यह बात गलत है। हमें इस तरह आगे नहीं चलना चाहिए। हमारे जो चुनाव संबंधी नियम हैं उसमें है कि हम चुनाव लड़ने के अधिकारी तब नहीं होते, जब कि फाइनल कोर्ट में अर्थात् सुप्रीम कोर्ट में सजा नहीं होती। ...**(व्यवधान)**...

श्री गोविन्दराम मिरी : सर, मेरे मित्र का कहना है कि जब तक गिल्ट प्रूव न हो तब तक जेल में नहीं डालना चाहिए। इस हिसाब से जो आज लाखों बेगुनाह लोग हैं, जो जेल में हैं, उन सबको छोड़ देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री वायालर रवि) : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सर, दिया है कि जब तक फाइनल कोर्ट से फैसला न हो तब तक उसको कोई चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता और लोग चुनाव लड़ते हैं। हम रोज देखते हैं, हरेक राज्य में किसी न किसी म्युनिसिपल कारपोरेशन से लेकर ससंद तक के चुनाव जेलों से लड़े जाते हैं और जेल से भी लड़कर लोग जीत कर आते हैं। कहां रोक-टोक हैं उस पर? जब रोक-टोक नहीं है तो जब कोई बैठा हुआ है, उस पर केस चल गया तो उसे नीचे उतारने की हमें पहल कहां है।

महोदय, माननीय सदस्य कोट करते हैं जापान का, कोरिया का, फिलीपाइन का, अमेरिका का, लंदन का। मैं कहना चाहता हूँ कि वह लोग कानून की किताब पढ़ लें, वहां पर भी ट्रायल कोर्ट में जो फैसले होते हैं उस पर किसी राष्ट्रपति ने या किसी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफे होते हैं, जब फाइनल कोर्ट का डिस्मिशन आता है। आज बिल क्लिंटन के ऊपर एक ट्रायल चल रहा है। एक महिला ने उन पर एक केस दायर किया है और यह बड़ा धिनौना केस है। शायद ऐसा धिनौना केस हमारे भारत में जो जाए तो जिसके ऊपर केस हो वह मूंह

दिखाने लायक न रहे और विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति पर है, जो राज कर रहा है। वहां की पार्लियामेंट में कोई बात नहीं उठ रही। वह कह रहे हैं कि फायनल कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसके बाद बिल क्लिंटन का भविष्य हम निर्धारण करेंगे। हमारे यहां हम क्षणिक में ही नाराज होकर, गुस्से में आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह एक आदमी को घसीटना है, चाहे उसे सजा मिले या न मिले। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, - "ऊनूं मारना नहीं ऊनू घरुहना है, अर्थात् हमें उसको जान से नहीं मारना बल्कि उसको घसीटना है सड़क पर। तो उसको घसीटा जा रहा है, उसको सजा नहीं देनी है। यह घरुहना वाली बात है, उसको ड्रैग करना है, उसको हाल करना है, वह हम कर रहे हैं।

महोदय, यहां कए बहुत अजीब सा वातावरण बनाया गया। आदमी एंटरिम बेल के लिए एप्लाई करता है रिजेक्ट होती है। इनकी भी एंटरिम बेल रिजेक्ट हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। हो गई, पहले लोअर कोर्ट से हुई, हाई कोर्ट से हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से हो गई। डिजिगनेटेड कोर्ट से ने जो फैसला लिया था, वह यह लिया था कि 6 अगस्त तक उसका अरेस्ट आफ वॉरंट का तामील किया जाए। जो 6 अगस्त तक उसको तामील करनी थी। पर उसमें हड़बड़ी क्या थी कि जब 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद इतनी हड़बड़ी लग गई कि अब गिरफ्तार नहीं किया तो शायद कोई आसमान टूट पड़ेगा। महोदय, जब यहां से भी निर्देश चले गए केन्द्र सरकार के, सी.बी.आई. के डायरेक्टर ने भी निर्देश भेज दिए कि 30 तारीख को सुबह बिना किसी तनाव के गिरफ्तारी की जाए और उसमें राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के लिए कहा गया और जब वहां 29 तारीख की रात को गिरफ्तारी नहीं हो सकी तो सवेरे-सवेरे 5:30, 6:30 बजे जजों को उठाकर उनसे आदेश लिए गए, मौखिक आदेश लिए गए कि आर्मी की मदद से उनको गिरफ्तार किया जाए। महोदय, मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई कि आर्मी की मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ी और किस प्रावधान में पड़ी? अभी मेरे माननीय साथी क्वोट कर रहे थे कि आर्टिकल 141 संविधान का इस बात पर लागू होता है। यह कहता है:- A law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Yes, I agree.

मैं कहा उसका विरोध कर रहा हूँ और शायद अरेस्ट करने वालो ने भी उसका विरोध नहीं किया, पर यह जो

मौखिक आदेश की बात आती है, यहां कहां से आई? मैं उद्धृत करना चाहूंगा आर्टिकल 215, जो हाई कोर्ट की पावर से संबंधित है इसमें हैं:- Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including power to punish for contempt of itself. कोर्ट आफ रिकार्ड्स अगर है, तो महोदय, उस दिन कोर्ट के सामने उन्होंने कौन सी याचिका दायर की थी? वर्बल आर्डर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वर्बल रिकार्ड में नहीं रहता, जब रिकार्ड में नहीं रहता तो हाई कोर्ट से निर्देश कैसे दे सकती हैं?

All High Courts in the country are courts of record under article 215 and whatever else that mysterious expression might mean. It does certainly require every High Court to maintain contemporaneous record of judicial proceedings, and an oral order passed on an oral application is an order for which there is no contemporaneous record, an order which, really speaking, exists only as a figure of speech, an order which, if wrong, cannot be contested before a superior court and which, if violated, cannot attract contempt action.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज उद्धृत करना चाहूंगा कि पिछले साल की 5 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया: -"The High Court would continue its task in the manner indicated." It further says, "...till the completion of the task with the filing of the chargesheet in the competent court."

जब चार्जिज फाइल हो गया कम्पीटेंट कोर्ट को, उसके बाद हाई कोर्ट का रोल क्या आता है? The execution of the warrant was a matter entirely for the trial court acting under the code of criminal procedure to decide. This is elementary, as any criminal lawyer would testify. यहां पर हाई कोर्ट का रोल है क्या और कानून की किन किताबों के प्रावधान से सी.बी.आई. के ज्वाइंट डायरेक्ट ने अपने एस.पी. को यह आदेश दिया कि आप आर्मी की मदद लेकर उनको गिरफ्तार करें? जब भी कम्पीटेंट कोर्ट का आदेश, कभी कोई वारंट आगर ईश्यू होता है तो उसमें टाइम लिमिट लिखी रहती है कि it should be return-able by this time. उन्होंने एक हफ्ते का समय दिया हुआ था और वह उसका पहला दिन था। अगर वह अंतिम दिन होता, सातवां दिन होता और सात दिन

तक राज्य सरकार मदद न दे रही होती तो शायद वह रिटर्न आर्डर परमिशन किसी से मांग सकते थे। पर मांगनी भी किससे चाहिए थी? ट्रॉयल कोर्ट से मांगनी चाहिए थी, हाईकोर्ट से नहीं क्योंकि हाईकोर्ट केस को ट्राई नहीं कर रहा है। मान्यवर, पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन केस वहां पर होते हैं जहां जस्टिस मिलने में डिले हो रही हैं। पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन वहां ऐप्लीकेबल नहीं है जहां तुरंत कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि सरकार इस बारे में सख्त कदम उठाए और ऐसे अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन ले। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें ट्रांसफर कर दें। मैंने इससे पहले भी सदन में यह सवाल उठाया था और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग प्रिज्युडिस हैं इस केस में और वे प्रोसीक्यूशन में इन्वाल्व है और प्रिज्युडिस होकर वे जस्टिस नहीं दिला सकते।

(उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) पीठासीन हुए)

महोदय, मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि क्या कारण थे, कौन से प्रेशर थे, कौन सी बाधाएं थीं जिनके कारण सी.बी.आई. के डायरेक्टर ने रविवार के दिन प्रैस कान्फ्रेंस ऐक्ट के तहत आते हैं, कोर्ट को दिखाए बगैर, चार्जशीट फाइल किए बगैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? इन अफसरों ने जल्दी में डिसीजन लिया। मुझे यहां पर देवगौड़ा जी का यह फ्रेज याद आता है। उन्होंने लोकसभा में अपने रिप्लाय में कहा था - कि "This old man is in a hurry." मैं कहता हूं कि This young investigating officer was in a hurry.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, today it has appeared in newspapers that a High Court Division Bench threatened, "Let us see what they are going to do with this officer... We will see it." Sir, have you seen this report? ...{Interruption!}...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I do not think that we should use the word 'threat' in the case of higher judiciary. ...{interruptions}... I do not think there is... {Interruptions}...

SHRI SOM PAL: Sir, it is not our invention.

He is quoting this report from newspapers which is very valid. ...*(Interruptions)*....

श्री एस. एस. अहलुवालिया : मैंने इसको क्वोट नहीं किया। मैंने इसीलिए कहा है कि मैं इसके ट्रांसफर की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और डिसिप्लिनरी ऐक्शन की मांग कर रहा हूँ। आखिर किन प्रावधानों के तहत, किन धाराओं के तहत उन्होंने ऐसा काम किया? हमारा देश इंडियन कांस्टीट्यूशन के तहत चलता है। सर्विस कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, आप उनके तहत उस अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे? उस दिन ऐसा करना गलत था क्योंकि आपके पास दिन उपलब्ध थे। आपको 6 तारीख तक वारंट वापस भेजना था गिरफ्तार करके। तो 6 दिन आपके पास थे। इसके बावजूद आप आर्मी के पास क्यों गए? इसके क्या कारण थे? इसमें आती है कि आपका माईड प्रिज्यूडिस है।

महोदय, मैंने टी.वी. पर देखा कि उनको अरेस्ट करके जेल कस्टडी में भेज दिया गया। दूसरे दिन टी.वी. पर मैंने देखा कि ज्वाइंट डॉयरेक्ट साहब अपनी कार से उस जेल में जा रहे हैं जिसको जेल में कन्वर्ट किया गया है। वे वहां गए। महोदय, जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर जेल में किसी ऐक्यूरूड को विजिट करता है तो उसकी पहले से परमीशन लेनी पड़ती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस अफसर ने कोई परमीशन डेजिनेटेड कोर्ट से ली थी तो उसकी एंट्री क्या उसके रजिस्टर में हुई? अगर नहीं हुई है तो इस पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? There is a difference between the police custody and the judicial custody. It is a written law.

यह कानून की किताबों में लिखा हुआ है, उसका डिफ्रेंस बताया हुआ है, स्टेट्स बताया हुआ है, स्टेट्स बताया हुआ है और वहां जाने से कैसे परमिशन किस तरह लेनी पड़ती है। जब दूसरे दिन अखबारों में छपा और टी.वी. ने कहा कि उन्होंने जाकर आधे घंटे मुलाकात की या बात की तो दूसरे दिन कंट्राडिक्शन आया जबकि विज्युअल इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देख रहे हैं कि वह जेल में जेल में गए, बी.एम.पी. कैम्प को जिसको जेल में कन्वर्ट किया गया है वह वहां गए। यह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया गया है। और दूसरे दिन कंट्राडिक्शन आता है कि मिला नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक के बाद एक जो भूल की जा रही है इसके पीछे रहस्य

HI 5:7ia/-

क्या है और यह रहस्य क्या यही है कि लालू यादव जी को पौलिटिकली और फिजिकली एलिमिनेट कर दिया जाए और अगर यह है तो देश के हर राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ा घातक कदम होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा और गृह मंत्री जीसे मांग करूंगा कि इन स्पेसिफिक सवालों का जवाब दें। हम दया की भीख नहीं मांगते। मैं बिहार से संसद में हूँ, बिहार के लोग दया की भीख नहीं मांगते। न्याय सर्वोच्च है, हम रूल आफ लॉ में आप कानून के तहत जो न्याय चाहिए। वहां प्रोसीक्यूशन और जूडिशियरी की मेल नहीं होना चाहिए। न्याय, न्याय होना चाहिए उसी की मांग करूंगा आपसे और उसके साथ-साथ यह जो आरोप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ लगाए गए हैं उनका जवाब चाहूंगा और उसके खिलाफ कार्रवाई चाहूंगा। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : श्री सोमपाल, आपकी पार्टी के 15 मिनट हैं और आपके अलावा तीन और लोग हैं।

श्री सोमपाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस आरोप का प्रपिवाद करना चाहता हूँ जो माननीय सतीश अग्रवाल जी ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर बताया कि बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी को नामित करके मुख्य मंत्री बना दिया। विधिवत् चुने हुए 168 जनप्रतिनिधि विधायकों ने बैठक करके संविधान में जो कानून और व्यवस्था वर्णित की गई है उसके अनुसार उन्हें चुना, और दूसरी बात वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने चुने जाने के बाद और शपथ ग्रहण करने के बाद जो प्रथम कार्य-दिवस आता था - अगले सोमवार उसी दिन विधिवत् विश्वास मत प्राप्त किया विधान सभा के अंदर। 324 सदस्यों की विधान सभा में 194 विधायकों का विश्वास मत उन्होंने प्राप्त किया। भारत के इतिहास में अपने पद पर चुने जाने के बाद और खास तौर से ऐसे वातावरण में यह प्रथम घटना है कि इतनी तत्परता से इतनी द्रुत गति से विश्वास मत प्राप्त करने की पहल किसी नेता ने की हो और यह लोकतंत्र की सभी मान्यताओं, व्यवस्थाओं और परम्पराओं के अनुरूप है। यह हमारा लोकतंत्र चुनाव प्रणाली के ऊपर आधारित है और इस चुनी जनादेश को प्राप्त करने वाले प्रतिनिधियों के विवेक पर टिकी हुई है। आपकी यह बात ठीक है कि मतदान का कोई अधिकार नहीं रहता जब तक कि अगला चुनाव न आ जाए और उस अंतराल में उसको

अपने जनप्रतिनिधि जो उन्होंने चुने हैं उन्हीं के विवेक पर निर्भर करना पड़ता है और उस विवेक के ऊपर वह कितना खरा उतरे, कितना उनका आचरण ठीक रहा है, अगले चुनाव में उसकी समीक्षा की जाती है और उसी के अनुसार हार और जीत होती है। और यह सारी व्यवस्था बहुमत के सिद्धांत और तर्क के ऊपर टिकी हुई है, इसकी सारी वैधता उसी से आती है। यदि इस व्यवस्था की वैधता यहां आलीशान बंगलों में और वातानुकूलित दफ्तरों में बैठे हुए उन शब्दाजाली थोथे सिद्धांतियों से आती तो आज वही सुविधा भोगी यहां के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री बनते और जनमत को नकारने का काम करते। यह बहुत बड़े-बड़े शब्दजाल, हमने देखे हैं। वह यहां इन आलीशान बंगलों में बैठकर वह सारे अनाचार करते हैं जिनके लिए वह इन साधारण व्यक्तियों को दोषी कहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान में और कानून में जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पूर्ण रूप से पालन किया गया है। तो मैं पुनः पुरजोर प्रतिवाद करता हूं इस बात का जो आपने कहा है कि किसी ने अपने खानदान के आदमी को नामित कर दिया। बल्कि खानदानी शासकों द्वारा जिस प्रकार शासक नामित किये जाते थे, उस व्यवस्था के ऊपर चोट करने के कारण उन वर्गों के पेट में जो दर्द उत्पन्न होता है, उसकी अभिव्यक्ति आपके माध्यम से हुई है। और लोकतंत्र से बढ़िया प्रणाली का अब तक अन्वेषण नहीं हुआ, उसकी खोज नहीं हुई। सबसे अच्छी प्रणाली यही है। उसमें गुप्त मतदान होता है। सबसे अच्छी प्रणाली यही है। उसमें गुप्त मतदान होता है, स्वेच्छा से मतदाता मतदान करता है, मेटी में बद हो जाता है, विधायक और सांसद निर्वाचित हो जाते हैं और वही प्रतिनिधि अपना नेता चुनते हैं। उस नेता में से ही मुख्य मंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं। यही वैधानिक तरीका है और इसी वैधानिक तरीके से श्रीमती राबड़ी देवी मुख्य मंत्री चुनी गयी है। मैं माननीय सतीश अग्रवाल जी से और सभी साथियों से पूछना चाहता हूं कि यदि कोई और प्रक्रिया हो तो बताएं, हम उसके ऊपर विचार करने को तैयार हैं, अभी तक तो यही उपलब्ध है। उसका न तो कोई उलंघन हमने किया, न अवहेलना की और न ही अनदेखी की है। देश की जब आजादी की लड़ाई हुई और हमने स्वराज्य मांगा तो अंग्रेजों ने कहा गया था, यह जंगलियों का और जाहिलों का देश है, इन्हें शासन करने की तमीज नहीं है। यह जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहे हैं, जिन्होंने जन्मना व्यक्ति की श्रेष्ठता और निष्कृष्टता के निर्धारण की परम्परा स्थापित की है जिसके कारण यहां जातिवाद पनपा, यह शोषण हुआ और यह कहा गया कि कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं, और कुछ शासित होने के लिए पैदा होते हैं। आपकी यह मान्यता

उस पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता की द्योतक है। इतिहास गवाह है कि कि इस जाति अभिशाप के कारण कितना नुकसान इस देश को हुआ। राज्य, सम्पत्ति, पद, सम्मान, विलासिता आदि सब पैतृक अधिकार के रूप में यहां माने जाते हैं। यह कहा जाता था कि फलां को शिक्षा प्राप्त जाते हैं। यह कहा जाता था कि फलां को शिक्षा प्राप्त करने का, फलां भाषा पढ़ने का या ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है और अमक जाति को नहीं है। यह शोषणपूर्ण सामाजिक पद्धति को उलटने का जब काम शुरू हुआ तो इन लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक था। यहां समाज ने करवट ली, लोकतंत्र आया और शासन तथा शासक चुनने का अधिकार जब धरती पर उतरने लगा तो इनकी रूह उसको देखकर कांपने लगी। इस सोशल पिरामिड को अस्थिर करने का काम, उसको उल्टा करने का काम उन जनप्रतिनिधियों ने किया है जिनमें से एक लालू प्रसाद जी हैं। हो सकता है, इसके प्रशासन में जो एक सोफिस्टिकेशन, जो एक नजाकत अब तथा कथित संभ्रांत वर्ग के लोग पसंद करना चाहते थे, वह नहीं रही हो क्योंकि वह एक गांव का आदमी है, निश्चित रूप से एक गंवार आदमी है। और हो सकता है कि उस तौर-तरीके को, उस सोफिस्टिकेशन को हैडिल करने में कहीं उसकी कमी रही गयी हो। पर यह आक्षेप लगाना कि उसने वंशवाद दिया है, वह भी उन लोगों के द्वारा जो इसके हामी रहे हैं, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। लोहिया के शब्दों में “विशेषाधिकार प्राप्त सुविधाभोगी लोगों के पेट में यह दर्द होना बहुत तत्त्वभाविक था।” जैसा मैंने कहा, वह छटपटा रहे हैं, उनकी आंखों में घृणा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, कि यह छुटभड़क यहां से आ गये। यह तो नीचे लोग थे, उनको कमीन कहा जाता था। यह कहा से शासक बन गये? इनको कैसे यह अधिकार मिल गया कि वह हवाई जहाज में जाएं, वह कुर्सी के ऊपर बैठे, वह हुक्म चलाएं यह उनको बर्दाश्त नहीं है। परन्तु उसके बावजूद मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि यह आम आदमी के सार्वभौमिक मतदान अधिकार से जन्मी हुई व्यवस्था है और उसी के तहत हमने उनको मुख्य मंत्री चुना है और आज वह अपनी जगह बैठी है। अब मैं सी.बी.आई.की भूमिका पर आता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Som Palji, if you have no objection, the Finance Minister wants to lay some paper. Since you are moving a different aspect of the subject, I thought I would permit him.

SHRI SOM PAL: Welcome, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): The Finance Minister, please.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1997-98 (AUGUST, 1997)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) 1997-98 (August, 1997).

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Som Palji, you may continue now.

SHORT DURATION DISCUSSION ON THE PREVAILING SITUATION IN BIHAR—(contd.)

श्री सोमपाल : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस दिल्ली महानगरी में मैं भी 1957 में गांव से आया था और मैंने भी पढ़ना-लिखना वहां सीखा जहां धरती के ऊपर अक्षर बनाने सीखे थे अंगुली से। उस समय न कलम थी, न तख्ती भी, न दवात थी और न स्याही थी। उस समय में तख्ती भी, न दवात थी और न स्याही थी। उस समय में छटी से लेकर दसवीं तक अपने गांव की पास के कस्बे में साढ़े पांच किलोमीटर रोज जाता था और साढ़े पांच किलोमीटर वापस आता था। वहां रास्ते में दो पानी पिलाने की प्याऊ पड़ती थी एक पंडित जी की थी और एक लाला जी की थी। मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूँ, मैं जाति का मानता नहीं हूँ और उसका प्रमाण यह है कि मेरे पिताश्री ने जब मेरा नाम विद्यालय में अंकित कराया तो उसके सामने जाति सूचक कोई शब्द नहीं था। मेरे से छोटा नाम यहां किसी सासंद का नहीं है सोमपाल।...(व्यवधान)...

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश) : मेरा छोटा नाम है राघवजी।

श्री गोविन्दराम मिरी : राघवजी है।

श्री सोमपाल : उनके सामने जी लगा है और राघव लगा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस समय मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। मैं यह किसी किताब में से तर्क ढूँढ कर नहीं लाया हूँ, किसी पुस्तक में से नहीं लाया हूँ। जब हम जाते थे तो वह दो पानी की प्याऊ

पड़ती थी। जब हम पानी पीते थे तो दोनों प्याऊ के ऊपर यह नियम था कि बीच में ढाक का पत्ता या लकड़ी की नुलकी लगा दी जाती थी कहीं यह पानी मिट नहीं जाए। यह तो हमारी जाति के साथ, जो कि एक मध्यम जाति जाटों की, उसके साथ व्यवहार था।...(व्यवधान)...

डा. रणवीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : यह गलत बात कर रहे हैं।

श्री सोमपाल : मैं सन् 1951 से 1956 की बात कर रहा हूँ। अग्रवाल जी आप जहां से आ रहे हैं वहां तो जूतें नहीं पहनने दिए जाते हैं, शर्म नहीं आती है आप लोगों की।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : नहीं-नहीं अग्रवाल जी नहीं बोल रहे हैं।

डा. रणवीर सिंह : आप ऐसी बात मत कहिए।

श्री सोमपाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, उनको नियमित करिए....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : नहीं, डाक्टर साहब कह रहे हैं, डाक्टर साहब ने कहा है।...(व्यवधान)...

डा. रणवीर सिंह : मैं तो उस इलाके में इनसे पहले से जी रहा हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ।....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी) : चलिए आप अपने विषय पर बोलिए। नहीं तो आपके विचारों की जो कड़ी है वह गड़बड़ हो जाएगी।

श्री सोमपाल : महोदय, मेरे विचारों की कड़ी किसी से गड़बड़ नहीं होती है परन्तु इसका मतलब यह है कि मेरे ऊपर मिथ्याचार का आरोप लग रहा है।...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : मिथ्याचार का आरोप नहीं है।

श्री सोमपाल : इसको मैं कैसे मान लूँ। मैं तो अपने पर बीती हुई बात कह रहा हूँ। डाक्टर साहब तो बहुत पहले अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए थे। ये बड़े घर से आते हैं और हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय की फीस नहीं थी।

डा. रणवीर सिंह : यह दूसरी गलत बात कह रहे हैं।

श्री सोमपाल : आप 1958 में अमेरिका गए नहीं.....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : बाद में गए हैं, उतनी जल्दी नहीं गए हैं।